

भिक्षुओं को मुख्य धारा से जोड़ना योजना का उद्देश्य

अयोध्या, संवाददाता। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भारत सरकार द्वारा संचालित स्माइल योजना की उपयोगिता 'कम्प्रेहेन्सिव रिहैबिलेशन ऑफ पर्सन्स इन्जोड इन द एक्ट आफ बेगिंग के तहत एक दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण व उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन रविवार को किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ करने के बाद सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भारत सरकार अमित यादव ने योजना पर प्रकाश डाला।

सचिव यादव ने बताया गया कि योजना का उद्देश्य भिक्षुओं का चिन्हिकरण, सेल्टर होम में अधिवासित कराकर प्रशिक्षण प्रदान कर विभिन्न

- भिक्षावृत्ति का उन्मूलन किए जाने पर हुई चर्चा
- अधिकारिता मंत्रालय ने आयोजित किया कार्यक्रम

विभागों के कन्वर्जन्स के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाते हुये उन्हें आजीविका के विभिन्न क्षेत्रों में नियोजित कर समाज की मुख्य धारा में लाना है, जिससे एक स्वस्थ एवं समृद्धि भारत का निर्माण किया जा सके। अन्य वक्ताओं ने भी योजना पर प्रकाश डालते हुये भिक्षावृत्ति का उन्मूलन कैसे किया जाए तथा इसमें शामिल व्यक्तियों को किस प्रकार सम्बल प्रदान करते हुये समाज की मुख्य धारा में लाया जाए, इस पर चर्चा की गई।